FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

शंकर पुत्र रामलाल गुर्जर निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा
– प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रकरण संख्या 11/2023 स्थगन प्रा0 पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2023	**आदेश** अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे पंजीबद्व किया जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 70/2022 निर्णय दिनांकित 27.03.2023 में विपक्षी को जिरह का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया एवं न ही पटवारी के बयान लिये गये। एक ही दिन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही की जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर विधि विरूद्व तरीके निर्णय पारित किया गया जिससे अपीलार्थी न्याय से महरूम हो गया और अपीलार्थी को जबरन बेदखल किये जाने की कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, जबकि अपीलार्थी अतिचारी नहीं हैं। अतएव ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.03.2023 की पालना को स्थगित किया जाये। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला हैं और सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में ठहरता हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 71/2022 निर्णय दिनांक 27.03.2023 से पारित निर्णय की पालना को स्थगित रखा जावे एवं प्रार्थी/अपीलार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें और प्रार्थी/अपीलार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट पैदा नहीं करें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा ग्राम पालडी की चारागाह आराजी नंबर 2388/1555 किस्म चारागाह रकबा 0.1896 हैक्ट. भूमि पर वर्षो से कब्जा चला आ रहा है एवं प्रार्थी /अपीलार्थी द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व निर्णय पारित कर प्रार्थी /अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के परीक्षण से स्पष्ट जाहिर होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलार्थी को ग्राम पालडी की चारागाह आराजी नंबर 2388/1555 किस्म चारागाह रकबा 0.1896 हैक्ट. भूमि पर सीमेन्ट की पटिटयों एवं पोल लगकार भूमि के चारों तरफ दीवार बनायी जाकर नाजायज कब्जा किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण तैयार कर प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्व विधिनुरूप नियमानुसार निर्णय पारित किया जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। दौराने बहस प्रार्थी/अपीलार्थी अधिवक्ता ने स्वयं भी स्वीकार किया हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी का उक्त चारागाह भूमि पर वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। चूंकि चारागाह भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को उचित नही ठहराया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी /अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सतुंलन व अपूर्णनीय क्षति का मामला नहीं बनता हैं। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता हैं। आदेश आज दिनांक 31.03.2023 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। यह पत्रावली मूल अपील प्रकरण के साथ संलग्न की जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा	